

छत्तीसगढ़ के पूर्व मु.मंत्री भूपेश बघेल के पुत्र को ईडी ने गिरफ्तार क्यों किया?

क्या गिरफ्तारी का कारण पुत्र की पंजाब के प्रभारी के रूप में नियुक्ति तो नहीं?

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 18 जुलाई। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे को आज सुबह रायपुर स्थित उनके घर से एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) ने शराब घोटाले में कथित संलिप्तता के चलते हिरासत में लिया है।

सूत्रों का कहना है कि यह तो बस शुरुआत है। भूपेश बघेल के करीबी सहयोगी विनोद वर्मा अगला निशाना है। उसके बाद बारी खुद भूपेश बघेल की हो सकती है।

बघेल और उनके परिवार की शराब घोटाले में भूमिका की जांच काफी समय से सुविधियों में है, लेकिन अब जाकर कार्रवाई क्यों हो रही है? यही असली सवाल है।

बघेल के बेटे इस समय पंजाब कांग्रेस के प्रभारी और एआईसीसी महासचिव हैं।

उच्चस्तरीय सूत्रों का कहना है कि उन्हें पंजाब का प्रभारी बनवाने में भाजपा

■ **बघेल पुत्र पिछले छः महीने की तरह कम से कम अगले छः महीने ईडी की रेड से संबंधित मुकदमों में व्यस्त रहेंगे तथा प्रभारी होने के बावजूद, पंजाब की चुनाव की तैयारी व उम्मीदवार के चयन की प्रक्रिया में कुछ खास नहीं कर पायेंगे और कांग्रेस के टिकट के बारे में निर्णय भाजपा लेगी।**

■ **ऐसा होना कोई अनहोनी बात नहीं, कई और राज्यों में भी कांग्रेस के प्रभारी ईडी की कार्यवाही में इतने फंसा दिये जाते हैं कि टिकटार्थियों का चयन परीक्ष रूप से भाजपा के हाथ में चला जाता है।**

■ **पंजाब के मामले में स्थिति इससे भी ज्यादा संगीन व सुनियोजित इसलिए लगती है, क्योंकि बघेल पुत्र के प्रभारी के रूप में चयन में के.सी. वेणुगोपाल की निर्णायक भूमिका रही थी।**

■ **राहुल गांधी ने कांग्रेस में भाजपा के “स्लीपर सैल” होने की बात कही थी। पर, विचारणीय विषय तो यह है कि राहुल की नाक के नीचे उनके नवरत्नों में कितने लोग भाजपा के “स्लीपर सैल” हैं।**

नेतृत्व की सक्रिय भूमिका थी। समझा जाता है कि बघेल को पंजाब का प्रभारी बनाने के पीछे के. सी. वेणुगोपाल का हाथ था।

स्थिति बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। पिछले 6 महीनों से भूपेश बघेल, ईडी की पुछताछ, बेटे की परेशानियों, अपने करीबी स्टाफ पर जांच और खुद के कानूनी जोखिमों में उलझे रहे हैं।

एक वरिष्ठ नेता, जो पंजाब के हालात से पूरी तरह वाकिफ हैं, का कहना है कि यह स्थिति अगले 6 महीनों तक बनी रहेगी।

पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है, और पार्टी के सांसदों को इस बात की गंभीर चिंता है कि वे अगला लोकसभा चुनाव जीत भी पाएंगे या नहीं।

बघेल का प्रदर्शन शून्य रहा है, और निकट भविष्य में कोई खास बदलाव की उम्मीद भी नहीं है।

ऐसी आशंका जताई जा रही है कि जैसे-जैसे पंजाब चुनाव नजदीक आएंगे, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

छात्रा की उत्तर पुस्तिका में छेड़छाड़ पर सीबीएसई से जवाब मांगा

जयपुर, 18 जुलाई। राजस्थान हाईकोर्ट ने कक्षा 12 के वाणिज्य वर्ग की एक छात्रा के एक विषय की उत्तर पुस्तिका से छेड़छाड़ करने के मामले में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली और उसके अजमेर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकलपीठ ने ये आदेश इफरा शेख की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने बोर्ड को पाबंद किया है कि वह संबंधित उत्तर पुस्तिका से जुड़ा

■ **छात्रा के, अकाउंटेंसी विषय में पुनर्मूल्यांकन में सामने आया कि उत्तर पुस्तिका के अंदर के पेजों पर किसी अन्य की लिखावट है।**

रिकॉर्ड नष्ट न करे और उसे सुरक्षित रखा जाए।

याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को अकाउंटेंसी विषय में बोर्ड ने सिर्फ 26 अंक ही दिए हैं, जबकि अन्य विषयों में उसके बेहतरीन अंक आए हैं। इस पर उसने इस विषय का पुनर्मूल्यांकन कराया। पुनर्मूल्यांकन के बाद प्राप्त उत्तर पुस्तिका में सामने आया कि उत्तर पुस्तिका के केवल पहले पेज की लिखावट ही उसकी थी। वहीं, भीतर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

क्या एक अमेरिकी नागरिक की नागरिकता खत्म की जा सकती है?

यह विवाद अब न्यायालय तक पहुँच गया है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप एलन मस्क, ज़ोहरान ममदानी व रोज़ी ओ'डॉनेल को उनकी नागरिकता रद्द करके उन्हें उनके पुराने वतन भेजने की धमकी सार्वजनिक रूप से देने लग गये हैं

-अंजन रॉय-
-अमेरिका में राष्ट्रदूत के प्रतिनिधि-
वाशिंगटन, 18 जुलाई। संयुक्त राज्य अमेरिका में “नागरिकता समाप्ति” (डीनैचुरलाइजेशन) पर एक नई बहस आकार ले रही है। यह बहस इस मुद्दे के इर्द-गिर्द घूम रही है कि क्या किसी अमेरिकी को उसकी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है।

इसमें, अमेरिका में जन्मे देश के स्वाभाविक नागरिक की नागरिकता समाप्त करने की बात भी शामिल है। रोज़ी ओ'डनिल, जिन पर अब नागरिकता समाप्त होने का खतरा मंडरा रहा है, एक प्रसिद्ध हास्य कलाकार हैं, जिन्होंने ट्रंप की तीखी आलोचना की थी।

डॉनल्ड ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान संकेत दिया कि वे एलन मस्क, ज़ोहरान ममदानी और रोज़ी ओ'डनिल को देश से निष्कासित करने पर विचार कर सकते हैं।

ममदानी, जो न्यूयॉर्क के मेयर बनने की दौड़ में हैं, के ऊपर कम्युनिस्ट होने

■ **एलन मस्क, कुछ समय पूर्व तक ट्रंप के घनिष्ठ मित्रों की सूची में प्रमुखता से शामिल थे, पर, जब से उन्होंने “बिग व ब्यूटिफुल” विधेयक का विरोध किया, ट्रंप ने उनको अमेरिका से बाहर उनकी जन्म स्थली वापस भेजने की इच्छा जाहिर की है।**

■ **ट्रंप रोज़ी ओ'डॉनेल व न्यूयॉर्क का मेयर बनने की महत्वाकांक्षा रखने वाले ज़ोहरान ममदानी को भी उनकी मातृभूमि भेजना चाहते हैं, इन दोनों पर आरोप लगाया गया है कि अमेरिका की नागरिकता प्राप्त करने के लिए उन्होंने जो दस्तावेज़ दिये थे, वे झूठे थे।**

■ **इस मुद्दे पर, कानूनी राय यह है कि जब तक उन पर यह आरोप न्यायालय में साबित नहीं होता, तब तक उन्हें उनकी नागरिकता से वंचित नहीं रखा जा सकता है। रोज़ी और ज़ोहरान दो प्रभावशाली व्यक्ति हैं। रोज़ी जानी-मानी कॉमेडियन हैं और ट्रंप पर व्यंग्य करने के लिए जानी जाती हैं, दूसरे हैं ज़ोहरान, जो न्यूयॉर्क के मेयर बन सकते हैं।**

का आरोप लगाया गया है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ईडी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मु.मंत्री बघेल के पुत्र को “दारू काण्ड” के तहत गिरफ्तार किया

चैतन्य बघेल, अपने पिता पूर्व मु.मंत्री के साथ रहते हैं तथा इस बात से काफी क्रुद्ध थे कि उनके जन्म दिवस पर ईडी ने उन्हें यह सौगात दी, क्योंकि गत वर्ष भी पूर्व मु.मंत्री, उनके पिता के यहाँ भी उनके जन्म दिन पर ईडी ने “रेड” की थी

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 18 जुलाई। लगातार सुविधियों में बने हुये एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) ने आज छत्तीसगढ़ के पूर्व कांग्रेस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को दुर्ग जिले के भिलाई कस्बे में स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया।

चैतन्य को मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (प्रोवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट- पीएमएलए) के तहत हिरासत में लिया गया। यह कार्रवाई उनके निवास पर की गई ताछा छोपेमारी के बाद हुई। चैतन्य अपने पिता भूपेश बघेल के साथ इस घर में रहते हैं।

इससे पहले इसी सप्ताह, ईडी ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड़ा के पति रॉबर्ट वाड़ा के खिलाफ आरोप पत्र

■ **चैतन्य बघेल ने न्यायालय परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए यह भी कहा कि उद्योगपति अडानी, माइनिंग करना चाहते हैं तथा इसके लिए व जंगल काटना चाहते हैं, तथा कांग्रेस पार्टी उनकी इस नाजायज़ गतिविधि में कानूनी रोड़े अटकाती है तथा अब ईडी की रेड उनके घर पर इस घटनाक्रम के संदर्भ में है।**

दाखिल किया था, जिसमें उन्हें अचल संपत्तियों से जुड़े मामलों में आरोपी बताया गया है।

कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा, “हम न डरेंगे और न झुकेंगे। भूपेश बघेल डरेगा नहीं। हम सच्चाई की लड़ाई लड़ेंगे।”

उन्होंने अपने भिलाई स्थित आवास से बाहर पत्रकारों से कहा, “एक तरफ बिहार में मतदाताओं के नाम चुनाव आयोग की मदद से मतदाता

सूची से हटाए जा रहे हैं...लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, और दूसरी तरफ ईडी, आईटी, सीबीआई, डीआरआई जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्षी नेताओं को दबाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन अब देश की जनता सब समझ चुकी है और पूरी तरह सचेत है।”

बघेल ने कहा, “ईडी पहले भी मेरे घर आई थी और 33 लाख रु. बरामद (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

■ **एसओजी ने जाँच में सही तथ्य मिलने पर आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा के चालक नादान सिंह के पुत्र अजय प्रताप सिंह राठौड़ को गिरफ्तार किया।**

(एडीजी) एसओजी वीके सिंह ने बताया कि एसआई भर्ती परीक्षा 2021 की जांच कर रही टीम को कुछ इनपुट मिले, जिनके आधार पर टीम ने जांच करना शुरू किया। जांच में तथ्य सही मिलने पर एसओजी की टीम ने बाबूलाल कटारा के तत्कालीन चालक नादान सिंह के पुत्र अजय प्रताप सिंह (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्र.मंत्री मोदी का बिहार में लालू के “जंगल राज” के मुद्दे पर आक्रामक प्रचार अभियान

इसी बीच सुप्रीम कोर्ट से लालू को बड़ा झटका लगा है, इससे भी एनडीए गठबंधन की हिम्मत बढ़ी है

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 18 जुलाई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और एनडीए के अन्य नेताओं द्वारा बिहार के महागठबंधन के जंगलराज के खिलाफ आक्रामक प्रचार अभियान छेड़े जाने के बीच, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को एक झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने “लैंड फॉर जॉक्स” मामले में ट्रायल पर रोक लगाने के लिए दायर की गई उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है।

न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने आज इस प्रकरण की सुनवाई करते हुए कहा कि लालू यादव को अपनी मुख्य याचिका, जिसमें उन्होंने सीबीआई की चांजशीट को रद्द करने की मांग की है, दिल्ली हाईकोर्ट में दलील के साथ प्रस्तुत करनी चाहिए, जहाँ यह मामला पहले से विचाराधीन है।

■ **सुप्रीम कोर्ट ने “लैंड फॉर जॉब” मामले में ट्रायल कार्यवाही पर रोक लगाने संबंधी लालू की याचिका को सुनने से मना कर दिया और कहा, वे दिल्ली हाई कोर्ट जाएं, जहाँ यह मामला विचाराधीन है, सुप्रीम कोर्ट ने लालू को व्यक्तिशः उपस्थिति से अवश्य छूट दी।**

■ **प्रधानमंत्री मोदी ने मोतिहारी में एक सभा में लालू यादव के जंगल राज की याद दिलाई। प्र. मंत्री ने यात्रा के दौरान 7200 करोड़ रूपए की विकास योजनाओं का भी उद्घाटन किया।**

हालाँकि, राहत की बात यह रही कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह कह दिया कि, विशेष परिस्थितियों को देखते हुए, लालू यादव को ट्रायल कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट दी जा सकती है।

यह मामला सीबीआई ने मई, 2022 में दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप है कि पश्चिम मध्य रेलवे में ग्रुप-डी की नियुक्तियाँ, लालू यादव के

परिवार और नजदीकी लोगों को जमीन देने के बदले में की गई थीं।

इस बीच, भाजपा ने एक बार फिर अपने पुराने प्रचार-अभियान को दोहराया है कि आरजेडी और कांग्रेस ने बिहार को लूटा और राज्य के विकास को रोक दिया।

आज मोतीहारी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज की पीढ़ी को यह समझना

जरूरी है कि दो दशक पहले बिहार किस तरह गहरी निराशा में डूबा हुआ था। उन्होंने कहा, “जो लोग सत्ता में थे, उनका ध्यान केवल इस बात पर था कि गरीबों के लिए आए पैसे को कैसे लूटा जाए। गरीबों के लिए पक्के मकान बनवाना असंभव था और लोग अपने घरों पर रंग-रोगन तक करवाने से डरते थे।”

प्रधानमंत्री ने 7200 करोड़ रूपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए कहा कि ग्रुपीए और राजद सरकारों के दौरान, बिहार के लिये 10 वर्षों में मात्र 2 लाख करोड़ रूपए की योजनाएँ मंजूर हुईं, जबकि 2014 के बाद से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, देशभर में 4 करोड़ से अधिक मकान गरीबों के लिए बनाए गए हैं और इसके साथ ही, बिहार को भी सार्वजनिक कल्याण और विकास कार्यों के लिए पर्याप्त धनराशि दी गई है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अमेरिका ने “द रैजिस्टैंट फ्रंट” को आतंकी संगठन घोषित किया

वाशिंगटन, 18 जुलाई। अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाते हुये, पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) आतंकवादी समूह को एक शाखा, द रेंजिस्टैंस फ्रंट (टीआरएफ) को एक विदेशी आतंकवादी संगठन (एफटीओ)

■ **लश्करे तैयबा से जुड़े इस आतंकी संगठन ने ही कथित रूप से 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया था।**

घोषित किया है। यह संगठन 22 अप्रैल को हुए भयावह पहलगाम आतंकवादी हमले के लिए जिम्मेदार है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने सीसीटीवी फुटेज जैसे प्रासंगिक व याचिकाकर्ता को दोषमुक्त करने वाले साक्ष्यों की उपेक्षा की और उन्हें एकत्र (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

के आधार पर प्रतिकूल निष्कर्ष निकाले गए, वह भी सबूत उलटकर।

याचिका में कहा गया है कि “समिति ने याचिकाकर्ता को अपनी निर्धारित कार्यप्रणाली की कोई जानकारी नहीं दी, उनसे एकत्र किए जाने वाले साक्ष्यों पर प्रतिक्रिया देने का कोई अवसर नहीं दिया, उनकी अनुपस्थिति में गवाहों से पुछताछ की और उपलब्ध होने के बावजूद, वीडियो रिकॉर्डिंग के स्थान पर केवल संक्षिप्त किए गए बयान

उपलब्ध कराए। समिति ने केवल “अभियोग लगाने योग्य” सामग्री का चयनात्मक रूप से खुलासा किया, और सीसीटीवी फुटेज जैसे प्रासंगिक व याचिकाकर्ता को दोषमुक्त करने वाले साक्ष्यों की उपेक्षा की और उन्हें एकत्र (शेष अंतिम पृष्ठ पर)